राजस्थान सरकार

निदेशालय, कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ1(379)स्था / निकाशि / 96 / दिनांकः–

आदेश

विभिन्न शैक्षणिक नियामक संस्थानों द्वारा व्याख्याताओं के शैक्षणिक उन्नयन (Professsional Development) हेतु आयोजित किए जाने वाले अकादमिक एवं रिसर्च गतिविधियों हेतु अल्प अवधि (01 माह) प्रवास कोर्स / एसोसिएटशिप मे व्याख्याताओं द्वारा भाग लेने के संबंध मे निम्नलिखित निर्णय लिये गये है :–

1. उक्त कोर्स / एसोसिएटशिप मे भाग लेने हेतु व्याख्याताओं को ON DUTY माना जावेगा।
2. जिन संस्थाओं (Inter University Centres) द्वारा आयोजित अकादमी एवं रिसर्च गतिविधियों मे भाग लेने हेतु अनुमति दी जा सकती है वह है :–

   A. Nuclear Science Center, New Delhi
   B. Inter-University Center for Astronomy and Astro-Physics, Pune
   C. Inter-University Consortium for DAE facilities, Indore
   D. Indian Institute of Advanced Studies, Shimla.
   E. Information and Library Network (INFLIBNET), Ahemedabad
   F. National Assessment and Accreditation Council, Bangalore

3. व्याख्याताओं को उक्त कोर्स / एसोसिएटशिप मे भाग लेने हेतु आवेदन करने से पूर्व निदेशालय से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी।
4. यदि कोई व्याख्याता ग्रीष्मावकाश मे यह कोर्स / एसोसिएटशिप करता है तो उन्हे भी ON DUTY माना जावेगा।
5. उक्त कोर्स / एसोसिएटशिप मे भाग लेने की अनुमति के आवेदन पर संबंधित प्राचार्य की स्पष्ट अनुषंशा होनी चाहिए।
6. एक व्याख्याता एक प्रकार का कोर्स / एसोसिएटशिप तीन वर्ष की अवधि मे एक बार ही कर सकेगें जब तक की आयोजित करने वाली संस्था द्वारा इस संबंध मे कोई अन्य नीति निर्धारित नहीं की गई हो।
7. उक्त कोर्स / एसोसिएटशिप पीडीएफ, टी.आर.एफ., ओरिएनटेशन तथा रिफ्रेशर कोर्स के अतिरिक्त मान्य होगा।

उक्त संबंध में प्रशासनिक विभाग की आई.डी. संख्या 364 दि. 03.10.13 के द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर

क्रमांकः एफ1(379)स्था / निकाशि / 96 / 2151 – 2156 दिनांकः– 23-10-13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. श्री धीरेन्द्र देवर्षि, व्या. प्राणीशास्त्र को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. यू.जी.सी. / अकादमी / कार्मिक शाखा, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।